आदेश का क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी
29.10.2020	अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जो अभिलेख मे संलग्न है। जमाबंदी रैयत झुलका साव पिता अखजु साहु के पक्ष में प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँचोपरांत (चेकलिस्ट) में प्रतिवेदन प्राप्त है , जो बिन्दुवार निम्नवत हैः— **खतियान की स्थितिः**— मौजा बक्सपुर, थाना नं0 02 के सर्वे खतियान में खाता सं0 147, प्लॉट 588, रकबा 0.20 एकड़ गैरमजुरूआ खास किस्म परती कदीम दर्ज है। **पंजी ii की स्थिति** :— मांग पंजी ii भाग सं0 II पृष्ट सं0 109 में दर्ज जमाबंदी रैयत झुलका साव पिता अखजु साहु के नाम से खाता सं0 147 प्लॉट 588 रकबा 0.20 एकड़ भूमि का प्राधिकार कॉलम में आधार दर्ज नहीं है, **भूमि का वर्तमान स्वरूपः**— खाली परती है। **दखल कब्जा कि स्थितिः**—जमाबंदी रैयत व वंशजों का उक्त खाता नं0 147 प्लॉट 588 रकबा 0.20 एकड़ भूमि पर दखल कब्जा नहीं है। **स्थल जॉचः**— जमाबंदी रैयत नावल्द मृत है। तथा खाता नं0 147 प्लॉट 588 रकबा 0.20 एकड़ भूमि पर दखल नहीं पाया गया है। जमाबंदी रैयत के पक्ष में कोई भी उपस्थित नहीं हुए। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आवलोकन से ज्ञात होता है कि जमाबंदी रैयत मौजा बक्सपुर में नहीं रहते हैं। रैयत नावल्द मृत है। प्रतिवेदनानुसार पंजी ii के भाग सं0 II पृष्ट सं0 109 में दर्ज खाता सं0 147 प्लॉट 588 रकबा 0.20 एकड भूमि के रैयत नावल्द मृत होने के कारण उक्त भूमि की जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की गई है। अनुशंसा के आधार पर प्रश्नगत भूमि मौजा बक्सपुर थाना नं0 02, खाता सं0 147 प्लॉट 588 रकबा 0.20 एकड भूमि को उक्त कारणों के आधार पर अवैध जमाबंदी को BLR ACT 1950 की धारा 4 (h) के तहत रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता खूँटी को भेजे। लेखापित संशोधित। अंचल अधिकारी कर्रा। अंचल अधिकारी कर्रा।	